दिनाक 28.08.2018 को निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में सूडा सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत एमआईएस/जीआईएस पोर्टल से सम्बन्धित समस्याओं एवं सुझावों का कार्यवृत्त।

उपस्थिति साथ में संलग्न है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):–

सर्वप्रथम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की एमआईएस हेड श्रीमती पूजा गुप्ता एवं एमआईएस विशेषज्ञ श्रीमती दीप्ति सिंह द्वारा एमआईएस/जीआईएस के सम्बन्ध में समस्त जनपदों के एमआईएस विशेषज्ञ एवं शहर मिशन प्रबन्धक को प्रशिक्षण दिया गया तथा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी:–

1. एमआईएस एन्ट्री एवं अटैचमेन्ट में परिवार के अन्य सदस्यों का आधार अनिवार्य होने के कारण लाभार्थी के परिवार का आधार एकत्र करने में समय अधिक लगने के कारण एमआईएस एन्ट्री में विलम्ब हो रहा है, जिस कारण अटैचमेन्ट व जिओ टैग नहीं हो पा रहा है। माह जुलाई में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 31212 आवासों एवं आगामी सीएसएमसी में स्वीकृत होने वाले लगभग 2 लाख आवासों की एमआईएस एन्ट्री होनी शेष है, परन्तु परिवार का आधार अनिवार्य होने के कारण 231212 लाभार्थियों के परिवार के आधार संग्रहण हेतु पुनः सर्वेक्षण करना पड़ेगा, जिसमें अत्यधिक समय लगेगा। परिवार के आधार की अनिवार्यता 2 माह के लिए शिथिल किया जाये। इस सम्बन्ध में रीजनल कोंडिनेटर, पीएमयू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया कि समय को देखते हुए 1 माह के लिए परिवार के आधार की अनिवार्यता शिथिल की जा सकती है। साथ ही नये लाभार्थियों के चयन के समय परिवार के मुखिया के रूप में महिलाओं को वरीयता दी जायें।

(कार्यवाही–समस्त HFAPoA कन्सलटेन्ट्स तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

2. एमआईएस विशेषज्ञ, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जिन परियोजनाओं में गलत अटैचमेन्ट हो गया है या दो नगर निकायों का एक ही नाम होने के कारण गलत अटैचमेन्ट हो गया है, ऐसी परियोजनाओं में गलत लाभार्थियों को परियोजना से अलग किये जाने का अनुरोध किया गया। इस पर एमआईएस हेड, पीएमयू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि जिन परियोजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है, उसमें SLSMC से अनुमोदन के पश्चात् ही मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अनुरोध किया गया कि Modification Request को Mission Director/SLNA के स्तर से ही स्वीकृत किया जाये।

(कार्यवाही–जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) एवं राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)

3. एमआईएस विशेषज्ञ, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि भुवन पोर्टल पर गलत जिओ टैग हो चुके आवासों का सुपरवाइजर के मॉडरेशन पश्चात् राज्य स्तर से निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने के पश्चात् भी ऐसे लाभार्थी एमआईएस पोर्टल की जिओ टैग रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में भुवन एवं एमआईएस पोर्टल को Synchronise कर दिया जाये, जिससे कि रिपोर्टिंग सही हो सके। यह भी अवगत कराया गया कि अब तक उ0प्र0 में किये गये जियो टैग में से 1645 लाभार्थियों के जियो टैग की accuracy 01 किलोमीटर से 04 किलोमीटर तक पाई गयी है तथा 44 लाभार्थियों की accuracy 04 किलोमीटर से अधिक पाई गयी है, जो कि भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है। उन आवासों का जिओ टैग निरस्त करते हुए पुनः जियो टैग कराया जाए। ऐसे आवासों के जिओ टैग की जनपदवार सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिससे उनका पुनः जिओ टैग कराया जा सके।

(कार्यवाही–समस्त CLTC इंजीनियर, डूडा तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

4. एमआईएस हेड, पीएमयू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया कि एमआईएस (Citizen/CSC) पोर्टल पर अभी भी 5,17,000 आवेदन पत्रों का निस्तारण (स्वीकृत व अस्वीकृत) नहीं किया गया है, जिसका निस्तारण कराया जायें।

(कार्यवाही–समस्त एचएफएपीओए कन्सलटेन्ट्स)

5. एमआईएस हेड, पीएमयू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक जिले की निकाय में MIS Specialist द्वारा अपना प्रोफाइल अपडेट किया जाये। मासिक प्रगति रिपोर्ट हर माह की 5 तारीख तक प्रत्येक दशा में निकाय स्तर से एमआईएस पोर्टल पर अपडेट की जाये।

(कार्यवाही–समस्त शहर मिशन प्रबन्धक एवं सीएलटीसी इंजीनियर, डूडा)

6. पूर्ण हो चुके आवासों के अन्तिम जिओ टैग का मॉडरेशन राज्य स्तर से किये जाने का प्राविधान किया जाये, जिससे आवासों की गुणवत्ता की जाँच की जा सकें।

(कार्यवाही–आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

7. एमआईएस पोर्टल पर List of Annexure Submitted के माध्यम से current report प्राप्त हो जाती थी, परन्तु अब रिपोर्ट एक दिन बाद अपडेट होती है, जिससे कि प्रोजेक्ट की updated report नहीं मिल पाती। इसको Real time update किया जायें, जिससे current updated report प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही–आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

उपरोक्त दिशा–निर्देश एवं सुझाव के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हुआ।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा।

पत्रांकः– 3175 /01/29/HFA-15/2018–19 दिनांकः–05 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक (एचएफए–1), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अपर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
4. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
5. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0परि0अधि0, डूडा, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से शहर मिशन प्रबन्धक एवं सीएलटीसी इंजीनियर को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त विशेषज्ञ, एसएलटीसी, सूडा, लखनऊ।
7. समस्त एचएफएपीओए कन्सलटेन्ट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा।